रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्ये"B 11, 1939
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/JYAISTHA 11, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्रधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम 2017

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 (2013 का 23), की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठनीय उपधारा (2) के खंड (ब.) और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत:—

1 इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।

2 यह आधिकारिक राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 में :

(I) विनियमन 15 के उप-विनियमन (3) में, निम्नलिखित पंक्तियों को "या समतुल्य मुद्रा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाली अंतिम पंक्ति के बाद जोड़ा जाएगा।

"सेवानिवृत्ति सलाहकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओं के व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने के बाद, भारत राज्य के क्षेत्र के बाहर कोई अन्य सेवा प्रदान करता है तो वह अधिकतम एक यूएस डॉलर या समतुल्य मुद्रा के समतुल्य सेवा शुल्क लेने का हकदार होगा|

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./92/17]

पाद टिप्पणी

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में, 04 जून 2013 को प्रकाशित किया गया।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्रधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम 2017 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में, 28 अप्रैल 2017 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (RETIREMENT ADVISER) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section 2 of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations 2016 namely:

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations 2016:-

 (I) In sub-regulation (3) of Regulation 15, the following lines shall be added after the last line ending with the words " or in equivalent currency".

 "The Retirement Adviser shall also be entitled to collect from the subscriber, service charges not exceeding one US $ per transaction or in equivalent currency, for any subsequent services under National Pension System, provided to such subscriber outside the territory of India, post the opening of his individual pension account"

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./ 92/17]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on June 13, 2016 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/1.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017, was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on April 28, 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/10.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.03 14:47:18 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.